

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :-ग्रामीण 137/24

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
एडेलवेइस असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वितीय मंजिल, प्लाट न. 100, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री हीरालाल सैनी		<ul style="list-style-type: none">सदाम हुसैन पुत्र मोहम्मद अली तेजेयो का वास, ओसियां जिला जोधपुर ग्रामीणमोहम्मद अली पुत्र सुलेमान तेजेयो का वास, ओसियां जिला जोधपुर ग्रामीणशबाना पत्नी सदाम हुसैन तेजेयो का वास, ओसियां जिला जोधपुर ग्रामीण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-25.11.2024

1-श्री विरेन्द्र सिंह इन्दा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण सदाम हुसैन पुत्र मोहम्मद अली व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 15,00,000/-गृह ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण मोहम्मद अली पुत्र सुलेमान की जायदाद पट्टा न. 42, मिसल न. 98/2017-18, दिनांक 17/10/2017, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति ओसियां जोधपुर ग्रामीण जिसका क्षेत्रफल 736.31 वर्गफीट, जिसके उत्तर में सार्व. रास्ता, दक्षिण में लालाधर/भोमाशंकर भार्गव, पूर्व में बाबूभाई/सुलेमान का मकान एवं पश्चिम में अब्दुल

1



जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

रसीद/अब्दुलशकुर/मो. सदीक आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असाफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 25.04.2024 तक 29,28,358.08/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 15,00,000/- गृह ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 25.04.2024 तक 29,28,358.08/- रुपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शनऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद मोहम्मद अली पुत्र सुलेमान की जायदाद पट्टा न. 42, मिसल न. 98/2017-18, दिनांक 17/10/2017, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति ओसियां जोधपुर ग्रामीण जिसका क्षेत्रफल 736.31 वर्गफीट जिसके उत्तर में सार्व. रास्ता, दक्षिण में लीलाधर/भोमाशंकर भार्गव, पूर्व में बाबूभाई/सुलेमान का मकान एवं पश्चिम में अब्दुल रसीद/अब्दुलशकुर/मो. सदीक आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण
जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.